बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांकः- 22.11.13........

संख्या–**ग्रा0वि0-1स्था0-(प्रशिक्षण)-15/2013**/ 16906 ..../ बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 53वीं से 55वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार ग्रामीण विकास पदाधिकारी सेवा के लिए अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों (जिनका स्थायी अथवा अस्थायी पतों की चरित्र एवं पूर्ववृत सत्यापन प्रतिवेदन अप्राप्त है) को अधोलिखित शर्तों के अधीन वेतनमान रू0 9300-34800 (पे बैंड-2) + ग्रेड वेतन रू0 4200/- में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ परीक्ष्यमान ग्रामीण विकास पदाधिकारी (RDO) के रूप में औपबंधिक रूप से अगले छः माह के लिए नियुक्त किया जाता है तथा उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-6 में अंकित जिला में व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु पदस्थापित किया जाता हैः-

क्र. सं0	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	जन्म तिथि	गृह जिला	पदस्थापित जिला का नाम	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	206090	अन्शु माली तिवारी	08.09.1982	सुल्तानपुर (उ0प्र0)	पूर्वी चम्पारण	
2	184289	आशुतोष कुमार	15.12.1979	भोजपुर	पटना	
3	118208	प्रकाश वर्मा	01.03.1977	पटना	सारण	
4	309139	प्रभाष चन्द्र कुशवाहा	04.02.1981	मुंगेर	बेगुसराय	
5	131322	सुनील कुमार गौड़	02.07.1981	गोपालगंज	पूर्वी चम्पारण	

2. उपर्युक्त सभी अभ्यर्थी की औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ अगले छः माह के लिये की जाती है कि चरित्र एवं पूर्ववृत सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त नहीं होने पर उनकी सेवा तत्कालिक प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी । छः माह के अन्दर चरित्र एवं पूर्ववृत सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इन औपबन्धिक रूप से नियुक्त अभ्यर्थियों की सेवा अगले छः माह के लिए राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर तब तक विस्तारित होता रहेगा, जब तक कि अनुकूल प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो जाता है ।
3. सभी नियुक्त अभ्यर्थी की परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षो की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगी ।
4. भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/ अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पायी जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जाएगी एवं आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी।

5. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964 दिनांक- 21.08.2005 एवं 768 पे0 को0 दिनांक-03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी ।
6. सभी अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1919 दिनांक-18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने संबंधी घोषणा-पत्र योगदान देने के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेगें ।
7. इसमें सरकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(प्रमोद कुमार बिहारी)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक :- ग्रा0वि0-1स्था0-(प्रशिक्षण)-15/2013/169066 पटना, दिनांक :- 22/11/13

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि उपरोक्त कंडिका-02 में यथा उल्लिखित शर्तों के आलोक में औपबन्धिक रूप से नियुक्त ग्रामीण विकास पदाधिकारी का वेतन पूर्जा योगदान की तिथि से अगले छः माह के लिए निर्गत किया जाए ।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक :- ग्रा0वि0-1स्था0-(प्रशिक्षण)-15/2013/169066 पटना, दिनांक :- 22/11/13

प्रतिलिपि:- मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/महाधिवक्ता, बिहार, पटना/महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, वाल्मी परिसर, फुलवारीशरीफ, पटना/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के सभी पदाधिकारी तथा सभी प्रशाखा पदाधिकारी(चरित्री कोषांग सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी संबंधित जिला पदाधिकारियों से अनुरोध है कि वे अपने जिले में पदस्थापित अभ्यर्थियों की योगदान की स्वीकृति उपरोक्त शर्तों के तहत स्वयं संतुष्ट होकर करेगें तथा योगदान प्रतिवेदन विभाग को भेजने की कृपा करेगें ।

3. नवनियुक्त अभ्यर्थी पदस्थापित जिले में योगदान देने के पाश्चात् जिला पदाधिकारी द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार तत्काल व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करेगें ।

4. महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, पटना से अनुरोध है कि सांस्थिक प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम तैयार कर विभाग/संबंधित जिला पदाधिकारियों को संसूचित करेगें और तदनुसार उन्हे सांस्थिक प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु जिला पदाधिकारी द्वारा विरमित किया जाएगा।

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक :- ग्रा0वि0-1स्था0-(प्रशिक्षण)-15/2013/ 169066/ पटना, दिनांक :- 22/11/13

प्रतिलिपि:श्री/श्रीमती...

पिता/पति का नाम ....

ग्रा0/मो0 ....जिला.............................. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उन्हे निदेश दिया जाता है कि, वे दिनांक- .... तक अपना योगदान निश्चित रूप से संबंधित जिला पदाधिकारी को समर्पित कर देगें । निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने अथवा योगदान अवधि के विस्तार हेतु साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी ।

सरकार के अपर सचिव ।

Photograph